


फर्द अहकाम

बद्रीनारायण बनाम रामस्वरूप

प्रार्थना पत्र संख्या: 234/2023

क्र. संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10	09.05.2024	<p>पत्रावली वारंते आदेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत हुई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 2455 व 5540/5535 पर आने जाने के लिये खसरा नम्बर 2452/1, 2426/3, 2423/2, 2424/2 में से रास्ते का अनुतोष चाहा गया है। खसरा नम्बर 2455 व 5540/5535 के खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है जिस खसरा नम्बर से प्रार्थीगण द्वारा आने जाने हेतु रास्ते का अनुतोष चाहा गया उन खसरा नम्बर 2452/1, 2426/3, 2423/2, 2424/2 प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं है। ना ही उक्त खसरा नम्बर से कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रास्ते हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार आवेदन कर रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। उक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीगण में साबित नहीं होने से अपूर्ण्य क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

